शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 अक्टूबर 2014

विकास प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका
(जनपद सहारनपुर का एक अध्ययन)

डॉ.सत्यवीर सिंह, डॉ.कुलदीप सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

विकास प्रशासन का किसी भी समाज के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तन्त्र होता है जिसके द्वारा सरकार विकास की सभी योजनाओं को प्रभावशील तरीके से लागू करना चाहती है ताकि स्थानीय क्षेत्रों में विकास की नई लहर आ जाये। भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास प्राचीन है। आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोक कल्याणकारी राज्यों के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का वर्तमान ढाँचा ब्रिटिश शासन की देन है। यहाँ भी स्वायत्त शासन को लगभग वही रूप दिया गया है जो ब्रिटेन में है। ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी संस्था है। ग्राम पंचायत के कार्य नागरिक सुविधायें, समाज कल्याण के कार्य कराती हैं। पंचायतों को ग्राम विकास के अधिकार दिए गए हैं। पंचायत और प्रशासन मिलकर ग्राम से लेकर देश तक के विकास में सहभागिता का निर्वाह कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में सहारनपुर जनपद का अध्ययन किया गया है।

भूमिका

स्वतन्तत्रा के पश्चात भारत सरकार ने स्थानीय विकास की दिशा में पर्याप्त प्रयास किये हैं। संविधान के निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन को सम्मिलित किया गया है। स्थानीय विकास के सन्दर्भ में नौकरशाही की तन्त्र भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ग्रामीण विकास द्वारा प्रशासनिक ईकाई के रूप में विकास खण्ड का निर्माण एक नवीन पहल और सराहनीय प्रशासनिक कदम है।

विकास प्रशासन राष्ट्र द्वारा जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं एवं माँगों को सन्तुष्ट करने की क्षमता से सम्बन्धित है। विकास प्रशासन में विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वयन करने में लोगों का सहभागी होना आवश्यक होता है। विकास प्रशासन में नागरिक एवं प्रशासन दोनों मिलकर सहयोग से एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने को बराबर की स्थिति में महसूस करते हुये कार्य करते हैं।

नौकरशाही लोकतन्त्र को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकासशील देश में सामाजिक, आर्थिक विकास का जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन्हें वास्तव में नौकरशाही क्रियान्वित करती है। भारत में नौकरशाही ने सशक्त कार्यपालिका, विधायिका, दलप्रणाली और अन्य राजनैतिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के विचार एवं नौकरशाही के

विकास कार्यों को लागू करने में सामने आयी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये शोध का प्रारूप तैयार किया है। जिसमें स्थानीय विकास के कार्यों में नौकरशाही की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

विकास प्रशासन का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी यू.एल. गोस्वामी ने अपने एक लेख 'दि स्ट्रक्चर आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया' में किया, जो सन 1955 में दि इण्डियन जर्नल आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ। 'विकास प्रशासन' की अवधारणा के प्रतिपादकों में जार्ज ग्रांट का नाम अग्रणी माना जाता है।

भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास प्राचीन है। आधुनिक लोकतान्त्रिक, लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्यक्षेत्र में अत्याधिक वृद्धि हुई है। अतः यदि राज्य की केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों पर सभी कार्यो का भार हो तो वे इन कार्यो को कुशलता तथा सरलतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि न तो उनके पास पर्याप्त समय होता है और न ही उन्हें विभिन्न स्थानों व क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों का ज्ञान होता है।

"सामाजिक प्रणाली जितनी अविकसित होगी उसके लिए संगठनों का निर्माण उतना ही कठिन होगा। उसी प्रकार समाज में जितने कम संगठन होंगे उस समाज के लिए विकसित होना उतना ही अधिक कठिन होगा।" यद्यपि यह मान्य है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का उद्देश्य विधिक सांस्कृतिक विन्यासों में प्रशासनिक प्रणालियों की कार्यप्रणाली की व्याख्या करना है फिर भी एक विकासोन्मुख प्रशासनिक प्रणाली और उसके सांस्कृतिक विन्यास के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन प्रचुर मात्रा में नहीं किया है।

"विकास प्रशासन में नागरिक और प्रशासक दोनों मिलकर सहयोग से एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने को बराबर की स्थिति में महसूस करते हुए कार्य करते हैं। विकास की अभिव्यक्ति केवल नौकरशाही अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं कर सकती, इसमें राजनीति प्रतिनिधि, हित समूह, सामाजिक संगठनों को भी सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। आर्थिक विकास, विकास का एक महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य रूप से इसका अर्थ देश की जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि है। आर्थिक विकास में गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी एंव आय की असमानता में कमी लाना और सामान्य जनता के आर्थिक स्तर में सुधार करना है। स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक विकास में नौकरशाही की क्या भूमिका है ?

आर्थिक विकास में नौकरशाही की विविध और अर्थपूर्ण भूमिका है। प्रथम, नौकरशाही ऐसी स्थितियों की स्थापना करने में सहायता प्रदान कर सकती है जिसमें आर्थिक विकास हो सके। ऐसी परिस्थितियों का सम्बन्ध कानून और संवैधानिक प्रतिमानों, आर्थिक जटिलतायें और कानून व व्यवस्था से है। द्वितीय चूंकि नौकरशाही नीति-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है, अतः वह आर्थिक नीति को ऐसी दशा प्रदान कर सकती है, जिससे अधिक आर्थिक विकास सम्भव हो सके। तीसरे, नौकरशाही आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गतिशील और बदलने योग्य व्यूह रचना अपना सकती है। कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन नौकरशाही पर निर्भर करता है। अन्तिम, लोक

सेवा अपने कार्यो के परिणामों की समीक्षा कर सकती है।

भारत जैसे विकाशील राज्यों के लिए जो कि स्वयं को गरीबी-बीमारी व दरिद्रता से मुक्त होकर सामान्य खुशहाली व समृद्धि करना चाहता है, के लिए प्रशासन की शासकीय नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पडती है। "कोई भी योजना तब तक सफल नही हो सकती जब तक कि तत्सम्बन्धी प्रशासकीय पेचीदागियों को समझ कर तदनुसार प्रशासकीय मशीनरी का विकास न कर लिया गया हो।"

विकास और पंचायतीराज

इसी प्रकार आर्थिक-सामाजिक विकास की दिशा में पंचायतों द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही है वह निराशाजनक नहीं है। भले ही पूर्णतया संतोषपूर्ण न हो यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बहुत कुछ मिट्टी की प्रकृति भूमि प्रस्ताव मानवीय संसाधनों की उत्पादकता तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर राजनैतिक नेतृत्व पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं के बिना ग्रामीण क्षेत्र में विकास सम्भव नहीं है। अतः हमें इसी दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है कि किस प्रकार इन संस्थाओं को अधिक सक्रिय कैसा बनाया जाये। जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकें।

नौकरशाही एवं विकास के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध का विश्लेषण करने के लिए आर.वी जैन "ब्युरोक्रेटिव वेल्यू इन डवलेपमैन्ट: ए कम्पोरेटिव स्टडी आफ वेल्यू ओरियनटेशन आफ एन्ड इन डवलपमेंट एडं नोनडवलपमैन्ट टास्क' के अनुभाविक अध्ययन में भूमिका एवं पूर्वाग्रह का तुलनात्मक अध्ययन किया। मूल्य, ओरिएंटेशन एटटीक्यूट एवं भारत में नौकरशाही के व्यवहार के बारे में विकास एवं गैर विकास के लक्ष्यों की चर्चा की गई। इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के मुरेना जिले एवं पंजाब के पटियाला जिले को अध्ययन के लिये चुना गया। इस अध्ययन में नौकरशाही के सामाजिककरण की प्रक्रिया का सैद्धान्तिक अध्ययन किया गया। नौकरशाही की संरचनात्मक विशेषताएं जैसे संस्तरण, श्रम का विभाजन, नियमों का तन्त्र आदि का वर्णन किया गया।

नौकरशाही की क्षमता, विकास मद की राशि विकास कार्यों में पूर्णतयः उपयोगिता का अध्ययन विलियम स्वेन्गर "ब्यूरोक्रेसी फेलियर और पब्लिक एक्सपेन्डिचर" के अपने अध्ययन में संयुक्त राज्य की फैडरल सरकार के तत्कालीन समय का अध्ययन किया गया। आर्थिक, राजनीतिज्ञ विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, एवं विभिन्न सम्बन्धित शाखाओं के ज्ञान का साहित्यक सर्वेक्षण किया गया। सामाजिक समस्या एवं सामाज के विकास के मुददों पर विस्तृत विवेचना का अध्ययन हार्डिमैन मार्गट "द सोशल डाईमेन्सन आफ डवलेपमेंट: सोशल पालिसी एंड प्लानिंग इन द थर्डवर्ल्ड के अपने अध्ययन में गरीबी एवं स्वास्थ कुपोषण, निराश्रय एवं भूमि हीन विकासशील देशों में बीसवीं सदी की स्थिति का अध्ययन किया। इस पुस्तक में सामाजिक समस्या एवं सामाज के विकास के मुददों पर विस्तृत विवेचना कि गई। विभिन्न निति एंवं विचारधाराओं के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस पुस्तक के अन्त में सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में आयी समस्याओं एवं नीतिगत मुददों की व्याख्या की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास तुलनात्मक अध्ययन स्ट्रीटेन पाऊल पी. डेवलपमेंट प्रेस्पेक्टिव के अपने अध्ययन में दोनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचनात्मक एवं संस्थात्मक उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर बल दिया एवं उनकी चुनौतियों की विस्तृत विवेचना की।

सैद्धान्तिक एवं नीतिगत आधार पर आर्थिक विकास की जटिल समस्याओं का अध्ययन सुमित्रा शर्मा डेवलपमेंट स्ट्रैटजी एडं दी डेवलपमेंट कन्टरीज के अध्ययन में सैद्धान्तिक एवं नीतिगत आधार पर आर्थिक विकास की जटिल समस्या को प्रस्तुत किया। लेखक ने अपने विचार एवं वृद्धि का आर्थिक प्रारूप विकास के बारे में प्रस्तुत किया। विभिन्न सिद्धान्तों की समालोचना एवं मार्क्स के सिद्धान्त की यूगोस्लेव अन्तःविश्लेषण के आधार पर व्याख्या की।

ग्रामीण एवं अर्द्धनगरीय लोगों पर कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन प्रभाकर सिंह "कम्यूनिटी डवलैपमैन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया: ओरगेनाइजेशन वर्किंग, एकीवमेन्ट" के अपने अध्ययन में सामाजिक विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन किया। इस पुस्तक के अन्तर्गत ग्रामीण एवं अर्द्धनगरीय लोगों पर कार्यक्रम के प्रभाव को सामान्यीकरण किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में कार्यक्रम की उपलब्धियों का अध्ययन किया गया।

'एक्शन रिसर्च मोडल' के आधार पर यह अध्ययन एक सामुदायिक अध्ययन के अन्तर्गत आता है। जिसका उद्देश्य लोगों पर विकास कार्यक्रम के प्रभाव उनके सहयोग एवं विश्लेषण के आधार का विस्तृत अध्ययन किया गया।

औद्योगीकरण की खोज के सामाजिक सिद्धान्त का अध्ययन पी.डब्लू. प्रीसटन 'थ्योरी आफ डेवलपमेंट' के अपने अध्ययन में तृतीय विश्व की खोज आज के दिनों में 'औद्योगीकरण की खोज के सामाजिक सिद्धान्त' आधुनिक समाज के जनक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेखक ने विकास के इतिहास का अध्ययन आज से जोड़ कर देखा। लेखक ने स्कूल की श्रेणी को पहचाना एवं उनके कार्यो का उल्लेख किया हेबर मास की क्रिटीकल सिद्धान्त में सामाजिक सिद्धान्त के प्रयोग होने चाहिए कि विचारधारा की तुलनात्मक की श्रेणी समालोचना एवं निर्माणता का उल्लेख किया।

विकास की समस्या को तकनीकी ज्ञान से कैसे हल कर सकते हैं का अध्ययन एच. जे. डयूलेट 'डेवलपमेंट टैक्नालोजी' के अपने अध्ययन में तीसरे विश्व के आर्थिक समस्या की पृष्ठ भूमि की 20वीं सदी की चुनौति बताया लेखक, डच अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक में बताया कि कैसे हम विकास की समस्या को तकनीकी ज्ञान से हल कर सकते है। उन्होंने दोहराया कि पश्चिमी औद्योगीकरण के प्रथम चरण में श्रम का सघनीकरण कृषि की तरफ अधिक हुआ जननकीय वृद्धि कम औद्योगिक रोजगार अधिक हुआ। इस पुस्तक में कुछ बिंदु अत्यधिक महत्वपूर्ण है जैसे तीसरे विश्व की जनगणना में तीव्रवृद्धि एवं आधुनिक तकनीकी ने अधिक रोजगार उपलब्ध कराये।

विकासशील देश से तकनीकी का विकसित देशों से तकनीकी आयात करने के साथ-साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है का अध्ययन टी. एन. चतुर्वेदी 'ट्रांसफर आफ टेक्नालाजी अमंग डेवलपिंग कंट्रीज: नीड फार स्ट्रेग्नथिंग कोपरेशन' अपने अध्ययन में विकासशील देश से तकनीकी का विकसित देशों से तकनीकी आयात करने के साथ-साथ अनेक

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों में जैसे भारत ने पूरे साल तकनीकी आयात के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में बाहरी मदद से बहुत उन्नति की है। यह देश एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सन्तुलित स्थानान्तरण हो सकता है। इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि कुछ जनरल, लेख आदि में इस मुददे पर प्रकाश डाला गया है। आइन स्केट द्वारा लिखित एक लेख प्रशासनिक नौकरशाही ने प्राथमिक रूप से नौकरशाही के कार्यो एवं ये कार्य कैसे आर्थिक वृद्धि के लिये सहायक हो सकते हैं। यह पूर्वाग्रह एवं संकल्पना भी है। कि नौकरशाही की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है।

तृतीय विश्व की विकास की समस्या का भारतीयकरण कर विचार-विमर्श का अध्ययन ओ.पी. द्विवेदी "क्राइसिस एण्ड कन्टीन्यूटीस इन डेवलपमेंट थ्योरी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन: फर्स्ट एण्ड थर्ड वर्ल्ड प्रस्पेक्टिव' ने अपने लेख में विकास प्रशासन पश्चिमी सैद्धान्तिक फाउन्डेशन एवं पूर्व आग्रह के बारे में विस्तृत विवेचना की। तृतीय विश्व की विकास की समस्या का भारतीयकरण कर विचार-विमर्श इस लेख में गैर परम्परागत माडलों की आवश्यकता एवं विकास के तरीकों के लिए संघर्ष करके मूल्यों को उपलब्ध कराना।

सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक विकासशील जिला है। सहारनपुर मण्डल सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिले से मिलकर बना है। सहारनपुर मण्डल का निर्माण 11 अप्रैल, सन् 1997 में हुआ था। इसकी भौगोलिक सीमा पश्चिम से हरियाणा से मिली है। पूर्व व उत्तर में उत्तरांचल प्रदेश से मिली है तथा दक्षिण दिशा में मुजफ्फरनगर जिले से मिली है। यह 290 24' और 300 24' उत्तर अक्षांश रेखाएं और 770 70' और 780 पूर्व देशान्तर रेखाएं के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्रफल 3860 वर्ग कि.मी. है।

भौगोलिक रूप से इसमें उप हिमालय पर्वत पड़ते हैं। इसकी मुख्य नदियां यमुना, कालीन हिन्डन, बूढ़ी गंगा है। इस जिले की मिट्टी उपजाऊ तथा सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। यह जिला खनिज पदार्थो की दृष्टि के बहुत महत्वूर्ण नही है, परन्तु यहाँ वन्य पदार्थ जैसे - शाल, चीड, शीशम, बांस, खैर, शीरू और भांवर घास पायी जाती है। घरेलू और औद्योगिक उद्योग जैसे बाण बनाना, लकड़ी का काम, मशीन, पेपर मिल्स आदि मुख्य हैं।

आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से यह जिला बंटा है। मुख्यरूप से जनसंख्या के अनुसार सहारनपुर को तीन आर्थिक समूह में बांटा गया है - 1. उच्च वर्ग 2. मध्य वर्ग 3. निम्न वर्ग। निम्न वर्ग गरीब वर्ग फिर से तीन वर्गो में बांटा गया - 1. गरीब 2. गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले (मध्यम गरीब) 3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (निम्न गरीब)। वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है। वर्तमान में 25 प्रतिशत है। अधिक धनी लोग साहूकार या मालिक हैं। उद्योग छोटे स्तर पर मुख्य रूप से मध्यवर्गीय लोगों द्वारा चलाये जाते है। गरीब किसान या मजदूर श्रेणी के लोग है। कुछ धनी लोग साहूकार के रूप में कार्य करते हैं। कुछ छोटे स्तर के उद्योग चलाते हैं, जिनसे मजदूरों को रोजगार मिलता है।

वर्तमान में सहारनपुर जिले में पाँच तहसील हैं। पाँच तहसीलों में ग्यारह विकास खण्ड हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तालिका में दी गई है-

तालिका क्रमांक - 1

क्रमांक	नाम	संख्या
1	तहसील	05
2	विकास खंड	11
3	न्याय पंचायत	113
4	ग्राम सभा	782
5	नगर परिषद	05
6	नगर पंचायत	06
7	पुलिस स्टेशन देहात पुलिस स्टेशन शहरी कस्बे कुल पुलिस स्टेशन	06 15 21
8	डाकघर कस्बे या शहर डाकघर ग्रामीण कुल डाकघर	33 188 221
9	राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि और भूमि विकास बैंक	20 6

सभी आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद सहारनपुर की जनसंख्या एक दृष्टि में तालिका नं0 2

स्रोत- जिला विकास भवन, सहारनपुर

सहारनपुर की कुल जनसंख्या 28,96,863 है। जिनमें कुल पुरूष 15,53,332 तथा कुल महिला 13,43,541 है। जिनमें कुल अनुसूचित जाति 6,29,350 तथा इनमें पुरूष 3,38,440 एवं 2,90,910 महिला हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद सहारनपुर में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 498 है जिनमें पुरूष 279 तथा महिला 219 हैं।

ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी संस्था है। एक गांव तथा कुछ छोटे-छोटे गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनायी जाती है। ग्राम सभा सम्पूर्ण गांवों के वयस्क पुरूषों को मिलाकर बनायी जाती है। अर्थात यह ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है। प्रधान के अतिरिक्त कुछ पंच (सदस्य) होते हैं। इनकी संख्या 5-15 तक होती है।

ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के मध्य में स्थानीय निकाय के संगठन को विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नामों जैसे- पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, आंचलिक पंचायत आदि से जाना जाता

कुल जनसँख्या	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल अनु.जाति	कुल पुरुष अनु. जाति	कुल महिला अनु. जाति	कुल जनसंख्या अनु. जनजाति	कुल पुरुष अनु. जनजाति	कुल महिला अनु.जनजाति
28.96	15.53	13.43	6.29	3.38	2.90	498	279	219
ग्रामीण 21.49	11.53	9.95	5.62	3.02	2.59	459	244	215
शहरी 7.47	3.99	3.47	0.67	0.35	0.31	39	35	4

है। इसके संगठन का रूप भी विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है, लेकिन फिर भी साधारणतः इसके संगठन एवं कार्यो में समानता मिलती है।

जिला परिषद का संगठन भी पंचायत समिति की तरह ही रखा गया है। इसमें सभी पंचायत समितियों के निर्वाचित अध्यक्ष प्रमुख होते हैं और कुछ सदस्य नियमानुसार प्रत्येक पंचायत समिति से चुन के आते हैं।

ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में प्रशासनिक तन्त्र की भूमिका भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और अधिकांश अशिक्षित है। जनता में कम जागरूकता, अज्ञानता, जन-सहभागिता की कमी, समुदायों के दबाव की और राजनीतिक दलों में प्रतिभा के कारण सारा दारोमदार नौकरशाही, प्रशासन पर आ जाता है।

आधुनिक काल से ही जिला स्तर पर जिलाधीश की स्थिति अद्‌वितीय है और आज भी प्रशासन और विकास की दृष्टि से उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उसे प्राप्त शक्तियाँ इसका प्रमाण हैं। सामान्यतः जिलाधीश जिला विकास अधिकारी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो से पंचायती राज से सम्बन्धित उसके कार्यक्रम हुए हैं। फिर भी जिला ग्रामीण विकास इकाई (डी.आर.डी.यू.) का अध्यक्ष होने के नाते विभागीय भूमिका तो निभाता है।

ग्रामीण विकास द्‌वारा प्रशासनिक इकाई के रूप में ब्लाक का निर्माण एक नवीन पहल और सराहनीय प्रशासनिक कदम है। समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम ब्लाक विकास प्रशासन के माध्यम से बनते और लागू होते हैं, इसलिए इस स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी-कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण उद्‌योग, सामाजिक शिक्षा, अभियान्त्रिकी, और महिला-बाल विकास कार्यक्रम से होता है।

ब्रिटेनिका विश्व शब्द कोश के अनुसार "स्थानीय शासन का अर्थ है कि पूर्ण राज्य की अपेक्षा आन्तरिक एवं लघु प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उन्हें करने वाली सत्ता।

एडवर्ड वीडनर के शब्दों में "विकास गतिशील है जो सदैव चलता रहता है। विकास मन की स्थिति, प्रवृत्ति और एक दशा है जो एक निश्चित लक्ष्य के बजाय एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है।"

हमारे देश की विद्‌यमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में ग्रामीण विकास की अनिवार्यता निर्विवाद है। भारतीय अर्थतन्त्र की द्‌विधात्मक प्रादेशिक संरचना जो प्रमुखतः औपनिवेशिक काल की विरासत है।

जान मोन्टगोमरी के शब्दों में, "विकास सामान्यतः परिवर्तन के ऐसे सामान्य भाग को समझा गया है जो स्थूल रूप से पूर्व निर्धारित या योजनाबद्ध एवं प्रशासनित किया गया हो या कम से कम सरकारी कार्य द्‌वारा प्रभावित है।"

'विकासात्मक प्रशासन' का अर्थ है कि विकास से सम्बन्धित प्रशासन यह शेष प्रशासन से इस बात में तो समानता रखता है कि यह भी उसी तरह से नियम, नीति एवं मानकों को औपचारिक रूप से आधार मानता है।

विकास प्रशासन का उदय, विकाशील देशों की राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना से जुडा हुआ है। बहुत से विचारक यह मानते हैं कि विकाशील राष्ट्रों में राजनीति तथा प्रशासन मिलकर समाज का संतुलित विकास कर सकते हैं।

विकास प्रशासन में नागरिक और प्रशासक दोनों मिलकर सहयोग से एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने को बराबर की स्थिति में महसूस करते हुए कार्य करते हैं। परिवर्तनशील स्थितियों में अपने लक्ष्य निर्धारित करना एंव नये-नये कार्यो का अनुमान लगाना उनका लक्ष्य है। समाज परिवर्तनशील स्थिति के अनुरूप शासकीय संरचना का ढालना। इस तरह नौकरशाही भविष्य पर दृष्टि रखते हुए विश्लेषणात्मक रूप से विचार करती है।

ऐसा नहीं है कि वेबर के आदर्श माडल के लक्षण, जैसे पदसोपान, विशिष्टीकरण, प्रशिक्षण योग्यता, कानून के अनुसार कार्य, आदि विकास प्रशासन में विद्यमान नहीं होते है। विकास प्रशासन प्रशासनिक संगठन और प्रक्रिया में नियोजित परिवर्तन और विकास की नवीन धारणाओं और उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करना चाहता है।

नौकरशाही जिस राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करती है, उसकी उप प्रणाली कहलाती है। इसलिए राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति नौकरशाही के व्यवहार को उचित रूप देती है। अतः विभिन्न राजनीतिक प्रणाली में नौकरशाही का व्यवहार अलग-अलग होता है।

नौकरशाही लोकतन्त्र को स्थिरता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकासशील देश सामाजिक-आर्थिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन्हें वास्तव में, नौकरशाही ही क्रियान्वित करती है।

नौकरशाही लोकतन्त्र को स्थिरता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकासशील देश सामाजिक-आर्थिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन्हें वास्तव में नौकरशाही ही क्रियान्वित करती है।

नीति-निर्धारण की प्रक्रिया शासन की केन्द्रीय प्रक्रियाओं में एक है। एपल्बी के अनुसार नीति-निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। किसी कार्य-प्रणाली की योजना के कार्य में नीतियों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। नीतियां ऐसी प्रमाणिक मार्गदर्शक हैं।

विकास के युग में नौकरशाही को अपनी परम्परागत सोच और कार्यप्रणाली को छोडकर नवीन भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अब उन्हें देश के विकास में विकास प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। अधिकांश कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए होते हैं अतः नौकरशाही को अब जनता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

खण्ड विकास अधिकारी के बारे में पूछने पर पता चलता है कि 42 प्रतिशत उत्तरदाता खण्ड विकास अधिकारी के बारे में नहीं जानते। जबकि 41 प्रतिशत उत्तरदाता विकास खण्ड अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को जानते है तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाता केवल सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को जानते है और 12 प्रतिशत उत्तरदाता मात्र ग्राम पंचायत अधिकारी को जानने की बात करते है।

पदाधिकारियों के कार्यों के पूछने पर पता चलता है कि 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना जवाब नकारात्मक अर्थात पता नहीं में दिया। जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के कार्य के बारे में जानते है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाता सहायक विकास अधिकारी व मुख्य विकास के

कार्यों के बारे में जानते है तथा मात्र 5 प्रतिशत उत्तरदाता केवल ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य के बारे में जानते है।

अधिकारियों से कार्यों के बारे में सम्पर्क के लिये पूछने पर पता चलता है कि 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया अर्थात हाँ में अपने जवाब दिये, जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में अपने उत्तर दिये है।

अधिकारियों के कार्यों को पूर्ण करने की रूचि के बारे में पूछने पर पता चलता है कि 42 प्रतिशत उत्तरदाता हाँ में जवाब दिया तथा 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में अपने जवाब दिया।

कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि के बारें में पूछने पर पता चलता है कि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर में तुरन्त कहकर जवाब दिया। जबकि एक सप्ताह में व एक माह में 9-9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया। एक माह से अधिक समय में 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया। जबकि सर्वाधिक 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी नही में अपना उत्तर दिया।

44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि खण्ड विकास अधिकारी गाँव में विकास योजनाओं के बारे में जानकारी देने आते है। जबकि 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक उत्तर दिया।

5 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि खण्ड विकास अधिकारी विकास योजनाओं के बारे में प्रतिमाह आते है। 46 प्रतिशत कभी-कभी बताया है। इसी प्रकार से कभी नहीं कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 49 प्रतिशत है।

44 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते है कि प्रभावशीलता को जानने के लिए अधिकारीगण गाँव में आते है। जबकि 56 प्रतिशत उत्तरदाता अस्वीकार करते है।

50 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते है कि गाँव का विकास हुआ। जबकि 50 प्रतिशत उत्तरदाता अस्वीकार करते है।

48 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते है कि विकास सम्बन्धी समस्या को जानने के लिए अधिकारीगण गाँव में आते है। जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाता अस्वीकार करते है।

3 प्रतिशत उत्तरदाता ही एक माह में एक बार अधिकारियों का गाँव में आना बताते है। जबकि केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता तीन माह में एक बार बताते है। 44 प्रतिशत उत्तरदाता कभी-कभी बताते है। जबकि लगभग आधे 52 प्रतिशत उत्तरदाता कभी नहीं में अपना उत्तर देते है।

20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अधिकारियों के कार्य से सन्तुष्ट है। जबकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं अधिकारियों के कार्यों से सन्तुष्ट नहीं है।

28 प्रतिशत उत्तरदाता ने भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनैतिक दबाव असन्तुष्टि का कारण बताया है। जबकि 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिलना बताते है व विकास कार्यो में देरी बताते है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा का अभाव व सूचना का अभाव मानतें है। जबकि मात्र 5 प्रतिशत विकास केन्द्रों का ग्रामीण क्षेत्रों से दूर होने का कारण मानते है। 18 प्रतिशत उत्तरदाता अधिकारियों के कार्यो से सन्तुष्ट है। जबकि 21 प्रतिशत उत्तरदाता पता नहीं में अपना जवाब देते है।

21 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते है कि वह स्थानीय विकास प्रशासन से सन्तुष्ट है। जबकि 79 प्रतिशत लगभग उत्तरदाता स्थानीय विकास प्रशासन से सन्तुष्ट नहीं है।

22 प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय विकास प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए भ्रष्टाचार, पक्षपात को मुख्य कारण मानते है। जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता राजनैतिक दबाव, पात्र व्यक्तियों को लाभ न मिलने को मुख्य कारण मानते है। 11 प्रतिशत उत्तरदाता विकास कार्यो में देरी, जनसाधारण में शिक्षा का अभाव को मुख्य कारण मानते है। मात्र 6 प्रतिशत उत्तरदाता सूचना का अभाव का कारण मानते है। जबकि 21 प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय विकास से सन्तुष्ट है। किन्तु 20 प्रतिशत उत्तरदाता को स्थानीय प्रशासन को प्रभावी बनाने के कारणों पर भी अनभिज्ञता जताते है।

20 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण विकास कार्यो की समीक्षा, नियंत्रण तथा निरीक्षण को अपना दायित्व बताते हैं जबकि 29 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र मंे खण्ड़जा व नाली निर्माण तथा इन्दिरा आवास योजना के निर्माण कार्यो को बताते है। इस प्रकार से सर्वाधिक 31 प्रतिशत उत्तरदाता पेंशन योजना, राशनकार्ड योजना, बी.पी.एल. सूची, स्वयं सहायता समूह गठन तथा स्वच्छता अभियान योजनाओं को क्रियान्वित करने को अपना दायित्व बताते है। 4 प्रतिशत नलकूप सम्बन्धित दायित्व बताते है व 13 प्रतिशत विभागीय कार्य व 3 प्रतिशत विकास खण्ड कार्यालय में व्यवस्था सम्बन्धित दायित्व बताते है।

48 प्रतिशत नौकरशाही उत्तरदाता विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में 'अशिक्षा' को महत्वपूर्ण कठिनाई मानते है। जबकि 1 प्रतिशत उत्तरदाता विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में 'असहयोग' की कठिनाई मानते है। 3 प्रतिशत उत्तरदाता 'राजनैतिक हस्ताक्षेप' को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में कठिनाई मानते है। जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाता विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में कोई कठिनाई नहीं बताते है।

1 प्रतिशत उत्तरदाता प्रतिदिन में प्रतिदिन में अपने कार्यों को पूर्ण करने की अवधि बताते है। सर्वाधिक 62 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यनुसार पूर्णता की समय अवधि बताते है। इसी प्रकार से 28 प्रतिशत उत्तरदाता एक सप्ताह में अपना उत्तर देते है। जबकि 7 प्रतिशत उत्तरदाता एक माह मंे पूर्णता की समय अवधि बताते है। इसी प्रकार 1-1 प्रतिशत उत्तरदाता दो माह व दो माह से अधिक समय में विकास योजना की पूर्णता की समय अवधि बताते है।

95 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जबकि मात्र 5 प्रतिशत उत्तरदाता अस्वीकार करते कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को जानने के लिए गाँव में नहीं जाते है।

94 प्रतिशत नौकरशाही उत्तरदाता यह हाँ स्वीकार करते हैं कि वह स्थानीय विकास प्रशासन की उपलब्धि से सन्तुष्ट हैं, जबकि मात्र 6 प्रतिशत नौकरशाही उत्तरदाता स्थानीय विकास प्रशासन की उपलब्धि से सन्तुष्ट नहीं हैं।

16 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार या हाँ करते हैं कि वह राजनैतिक दबाव में कार्य करते हैं, जबकि 84 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार नहीं करते कि वह किसी राजनैतिक दबाव में कार्य करते हैं।

99 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार या हाँ करते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हैं, जबकि मात्र 1 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार नहीं करते कि वह विकास कार्यो में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हैं।

87 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जनसाधारण की सहायता के लिए मिलने पर दृष्टिकोण मिलने पर सहयोगात्मक होता है, जबकि 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जनसाधारण की सहायता के लिए मिलने पर दृष्टिकोण सकारात्मक होता है।

शोध कार्य के दौरान पाया गया कि अधिकतर उत्तरदाताओं ने कार्यो को समय पर पूरा न करने तथा विकास खण्ड के अधिकारियों का ग्रामीण को नयी-नयी योजनाओं तथा विकास खण्ड के अधिकारियों का ग्रामीण को नयी-नयी योजनाओं के बारे में जानकारी न देना ग्रामीण उत्तरदाताओं की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तथा नौकरशाही जनसाधारण की अपेक्षा अनुरूप समय पर कार्य, कार्यो में रूचि, गाँवों में लोगों से सम्पर्क करने की आवृति आदि को लेकर उत्तरदाताओं की अपेक्षा पर हमारा नौकरशाही तन्त्र खरा नहीं उतरता है। उपर्युक्त शोध कार्य के दौरान पाया गया कि ग्रामीण विकास में नौकरशाही की भूमिका जनसाधारण की अपेक्षाओं के अनुकूल नही अथवा प्रतिकूल है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.आनन्द प्रकाश अवस्थी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अनुपम प्लाजा, ब्लाक नं0 50, संजय पैलेस, आगरा-2, 2004.

2.अरोरा रमेश कम्पेरिटव एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान हिन्दी एकादमी, जयपुर 1975.

3.ईश्वर दयाल और कामिनी, आर्गेनाईजेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारी प्रोग्रेसिव कोरपोरेशन पी.वी.टी., एल.टी.डी., 1969.

4.जे.एल. एण्ड श्रीराम, अर्बन एण्ड डेवलपमेंट एण्ड मनीसीयक ब्यूरोक्रेसी क्योटेड हेन बीन ली न ब्यूरोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट पी-126.

5.माथुर, कुलदीप ब्यूरोक्रेटिक रेसपोन्स टू डेवलपमेंट रेसपोन्स टू डवलपमैण्ट ए स्टैडी आफ ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर इन राजस्थान एण्ड उ.प्र., दिल्ली 1974.

6.पाई पानिन्दीकर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एप्रोच इण्डियन जनरल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंक 10 नं0, 1967 पी.-35-36.

7.पाई पानिन्दीकर , डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डियन 1974.

8.बी.एल. फाडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, 1998.

9.बेरीबन्टी, आर. एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट इन इण्डिया, डुरहम, इक यूनिवर्सिटी प्रैस 1963.

10.सुरेन्द्र कटारिया कम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर, 2001.

11.दुबासी, पी.आर, .रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया बम्बई, पोपुलर प्रकाशन, 1970.

12 दास, हरि हर, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद, 1971.

13. वेडनर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ए न्यू फोकस फार सर्च हिन्दी एण्ड स्टाक, पेपर्स कम्पेरिटिव एडमिनिस्ट्रेशन 1962, पी-98.

14. अल्मोन्द और जेम्स एस. दी पालिटिक्स आफ डेवलपिंग एरियास, कालमैन परिन्सटोन, परिन्सटोन, यूनिवर्सिटी प्रेस, 1960।

15. बारनबास डोनाल्ड सी., एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पेल्टज, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली, 1970.

16.भाले राय, सी.एन. एडमिनिस्ट्रेशन, पालिटिक्स एण्ड डेवलपमेंट इन इण्डिया, लालवानी पब्लिशिंग हाउस-1972।

17. फेरल एडमिनिस्ट्रेशन: ए कम्पेरिट पर्सपेक्टिव इन्गलेवुड कफीफ्ट एन.जे. प्ररिन्टस हाल, 1966।

18 फ्रेड डब्लू रिग्स, दी आइडिया आफ डेवलपमेंट, राइटस, दी फ्रटटीयर्स आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डुरम, डक युनिवर्सिटी प्रेस, 1970।

19. फ्रेड डब्लू रिग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन डवलपिंग कण्ट्रीज ए थ्योरी आफ प्रिज्मैटिक सोसायटी, 1964।

20. फ्रेड डब्लू रिग्स फ्रंटियर्स आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 1971

21. जे.ई. कैडन, दी डायनामिक्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाईड लाईन्स टू करन्ट ट्रांसफोरमेशन्स इन थ्योरी एण्ड प्रक्टिस, न्यूयार्क रहीन हीट एण्ड वीन स्टोन 1971

22. जान माण्टगोमरी, ए रायल इन्वीटेशन: वेरी ऐशन आन श्री क्लासीकल थीम्स : एप्रोचेस टू डेवलपमेंट पालिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड चेंज न्यूयार्क, मेकग्रा हिल-1966।

23. ओ.पी. द्विवेदी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन टयूब डेट आर.पी. जैन एक्सपेक्ट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेट फोकस आन गर्वनमेण्ट इन फ्लूवेन्स चेंजेस टुवाईस प्रोग्रेसिव पालिटिक्स इकनोमिक्स एण्ड सोशल ऑब्जेक्टिव, नई दिल्ली-1985

24. पाई पानिन्दीकर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एप्रोच इण्डियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंक 10 नं0, 1964, पी-35-36.

25. पाई पानिन्दीकर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, दिल्ली, 1974।

26. आर.वी. आब, ब्यूरोक्रेसी अण्डर स्ट्रेस, पी-47।

27. सुरेन्द्र कटारिया, कम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस.एम.एस.हाइवे, जयपुर, 2001।

28. आर.पी. जोशी, भारत में स्थानीय प्रशासन, जयपुर, 1999, पृ0-1

29. प्रेम कुमारी दीक्षित, रामायण में राज्य व्यवस्था, अर्चना, प्रकाशन, लखनऊ, 1971, पृ.- 115

30. आर. श्याम शास्त्री, कौटिलयाज अर्थशास्त्र, प्रिंटर्स प्रेस मैसूर, 1956, पृ.- 45

31. घनश्याम दत्त शर्मा, मध्यकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थायें, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1992, पृ.- 21-24

32. एस.आर. महेश्वरी, भारत में स्थानीय शासन, पृ.- 14

33. बी.एल. ग्रोवर एवं आधुनिक भारत का इतिहास, एस0 चन्द्र यशपाल एंड कं. लि., नई दिल्ली, 1990 पृ. 277

34. बी. मुखर्जी कम्यूनिटी डेवलपमेंट इन इण्डिया, पृ.- 17

35. आर.पी. जोशी एवं विकास प्रशासन का जिला प्रदीप कुमार सक्सेना प्रतिमान, लोक प्रशासन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जुलाई-सितम्बर, 1979, पृ0- 46

36. रिपोर्ट आफ द कमेटी आन प्लान, प्रोजेक्टस, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1959

37. शील्स एडवर्ड पालिटकल डवलपमेन्ट इन दा न्यू स्टैटस, दा हंग मोरटेन, 1962, पृ0- 42

38. सविन्दर सिंह भारत में विकास प्रशासन, न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 1996, पृ0-489

39. होशियार सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन आफ रूरल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया, स्ट्रेलिंग पब्लिसर्स प्रा.लि., नई दिल्ली, 1995, पृ0 38

40. सुषमा यादव एवं भारतीय राजनीति ज्वलन्त प्रश्न, हिन्दी रामअवतार शर्मा माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994, पृ0-2

41. महबूब-उल-हक, इम्पलायमेंट एण्ड इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन इन 1970-ए न्यू पेरस्पेक्टीव, पाकिस्तान इकनोमिक एण्ड सोशल रिव्यू, जून-दिसम्बर, 1971, पृ0-6

42. एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका, लन्दन, पृ.- 261

43. राजनीतिक विज्ञान शब्द कोश, वी.आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन दिल्ली, पृ.- 173

44. बेचेन सिंह दुबे, समन्वित ग्रामीण विकास जीवन धारा प्रकाशन, आगरा, 1985, पृ0- 14

45. विनोद कुमार अग्रवाल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सम्मानित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुरूक्षेत्र, 2005, जनवरी, पृ0- 1-5

46.जे.एल. एण्ड श्रीराम के, अर्बन डेवलपमेंट एण्ड म्यूनिसिपल, ब्यूरोक्रेसी' क्योटेड हेन-बी7 ली इन ब्यूरोक्रेसी एण्ड डवलपमेंट, पृ.- 126

47. एडमिनिस्ट्रेटीव रिफोर्म्स कमीशन, रिपोर्ट आन डेलीगेशन आफ फाईनेंशियल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन पावर, जीओआई, नई दिल्ली, 1969

48.बी.के.डी.ब्यूरोक्रेसी एंड डवलपमेन्टः सम रेफ्लेक्शन", आर्टीकल रीटर्न इन डवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिसेड नई दिल्ली, 1984, पृ0- 75-96

49. टैरी, जी.आर.,प्रीन्सीपल्स आफ मैनेजमेंट, 1954, पृ- 171

50.एम.ई. एंड डिमॉक, जी.आर.पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1956, पृ0- 82

51.रूसकी वसु, लोक प्रशासन, संकल्पनाएँ एवं सिद्धान्त, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1996, पृ0- 499